न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1645–तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–2–13 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर प्रकरण क्रमांक 17 स्व.निग./05–06.

———

1– सरदार सिंह

2– बृजभान सिंह

3– जयराम सिंह

पुत्रगण श्री रघुनाथ सिंह लोधी

समस्त निवासी ग्राम बढ़ेरा तहसील चंदेरी

जिला अशोकनगर ——— आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर ——— अनावेदक

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री टी.सी. नरवरिया एवं श्री पी.के. तिवारी ।
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 05–10–2015 को पारित)

———

यह निगरानी कलेक्टर, जिला अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/स्व.निग./05–06 में पारित आदेश दिनांक 22–2–13 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से

उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है । विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकिया का पालन करते हुए आवेदक को ग्राम दिलोना स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 183/1 रकबा 3.051 हैक्टर में से 1.045 हैक्टर भूमि का पट्टा दिनांक 19–6–94 को दिया गया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने से पूर्व आवेदकों को स्वमेव निगरानी में उठाये गये बिंदुओं के स्पष्टीकरण हेतु कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया । यह भी कहा गया कि विचारण न्याालय के आदेश को स्वमेव निगरानी में लिए जाने के पूर्व कारण बताओ सूचनापत्र नहीं दिया गया जबकि विवादित आदेश में सूचनापत्र का जबाव न दिए जाने का लेख किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनियमितता के संबंध में स्पष्ट नहीं किया गया है कि आवेदकों के हित में जारी पट्टे में कौनसी अनियमितता हुई है । यह तर्क भी दिया गया कि इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा 18 वर्ष से अधिक समय उपरांत स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि के अंतरणों को शून्य घोषित किया गया है जो अवैधानिक है क्योंकि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26, न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) एवं 2014 (I) MPLJ 253 राजेन्द्र प्रसाद तिवारी बनाम म0प्र0 शासन हवाला दिया गया है ।

4– अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आलोच्य आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है इस प्रकरण में नायब तहसीलदार, चंदेरी द्वारा प्रकरण कमांक 8/अ/19/93–94 में पारित आदेश दिनांक 19–6–94 के द्वारा अन्य 5 व्यक्तियों के अलावा आवेदकों को प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा दिया गया है । नायब तहसीलदार के इस आदेश को कलेक्टर द्वारा लगभग 11 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लिया गया है तथा 18 वर्ष उपरांत निरस्त किया गया है । आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में उक्त अवधि युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकती । न्यायदृष्टांत 1998

(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यादृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – " भू–राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा – 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत 2014 (I) MPLJ 253 (राजेन्द्र प्रसाद तिवारी बनाम म0प्र0 शासन) में भी उक्त न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी अधिकारों के तहत 2 साल 5 माह बाद जारी नोटिस को उचित न मानते हुए याचिका स्वीकार की गई है । किंतु वर्तमान प्रकरण में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों में निर्धारित अवधि के पश्चात पुनरीक्षण में लिया जाना विधि की मंशा के विरूद्ध है । उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है, अतः स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 17/स्व.निग./05–06 में पारित आदेश दिनांक 22–2–13 (जहां तक आवेदकगण का प्रश्न है उस सीमा तक) निरस्त किया जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदकगण का नाम ग्राम दिनोला स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 183/1 के रकबा 1.045 हैक्टर पर पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर